29/11/19 पत्रावली वकुलाय पक्षकारान द्वारा शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना - पत्र पर दिनांक 20/12/19 से आज तलब की गई। निर्णय दिनांक 1/1/19 के अनुसार तहसीलदार ओसियाँ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उभय पक्षकारान को सुना गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव अनु को उभय पक्षकारान ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व वादपत्र में वर्णित हिस्से अनुसार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:01:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विभाजन प्रस्ताव सही है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादपत्र क में अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28/11/19 विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर, ...	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:01:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अंतिम डिगरी ब मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑडर 21, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

बइजलास श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
रविन्द्र प्रसाद		कालुखां वगैरा

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

वाद संख्या:– 102/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू पक्षकारान बहाजरी श्री जसवन्तसिंह चौहान एडवोकेट मिनजानिब मुदई, प्रतिवादी संख्या 3 से 6, 9, 11 व 13 से 21 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश मदेरणा मिन जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्राथमिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 28.11.2019 को प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 1521/3 में बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि विभाजित की जाती है तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि बाद विभाजन प्रतिवादीगण, वादी के हिस्से की विभाजित भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें, वादी को बेदखल नहीं करें और न ही किसी से करावें तथा तहसीलदार ओसियां द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 28.11.2019 इस डिक्री का भाग समझा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। उपरोक्त अनुसार डिक्री जारी की जाती है।

बाबत्............................ खर्चा इस

निज.............................. मुबलिग.. फीसदी सालाना आज की

मुकदमे के मय सूद व शहर.. को अदा करें।

तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/11/19 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

सहायक कलेक्टर, ओसियां

मोहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मतफ		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:01:11 IST
Reason: SelfAttested

नोट:– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे जरिये के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner